


छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
—0—  
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक २१/०३/२०२३

क्रमांक 381/1051/2022/स्था./चार :: राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती अंजनी राजपूत, सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ करता है।

2/ उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No. 91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(शांता खरे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


नवा रायपुर, दिनांक २१/०३/२०२३

पृ.क्र. 382/1051/2022/स्था./चार,

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
02. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
04. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
05. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
06. संभागीय आयुक्त, बिलासपुर
07. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
08. संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर
09. कलेक्टर, बिलासपुर
10. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बिलासपुर
11. संबंधित अधिकारी .....
12. आदेश फोल्डर हेतु

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग